<u>राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर</u>

<u>निर्णय</u>

सुरेन्द्र पारीक बनाम राजस्थान राज्य

एलपीठ दाण्डिक अपील संख्या 1241/2002
विरूद्ध सेशन प्रकरण संख्या-76/2001में विद्वान
अपर सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) क्रम 2 जयपुर
नगर,जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक9.8.2002

--

निर्णय दिनांक : 15 सितम्बर,2006

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल</u>

श्री पी सी भण्डारी, अधिवक्ता अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से

श्री एम एल गोयल, विद्वान लोक अभियोजक

--

अभियुक्त- अपीलार्थी सुरेन्द्र पारीक को विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) क्रम 2 जयपुर नगर,जयपुर ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 9.8.2002 द्वारा धारा 498-ए व 304-बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का दोषी पाते हुए धारा 304-बी भारतीय दण्ड के अपराध के लिए सात वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रूपये के अर्थ दण्ड, अदम अदागयी अर्थ दण्ड दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से

दण्डित किया है।

अभियोजन मामले के अनुसार श्रीमती ललिता देवी उर्फ बेबी का विवाह अपीलार्थी अभियुक्त सुरेन्द्र पारीक के साथ दिनांक 26.6.94 को सम्पन्न हुआ था जिसमें मृतका ललिता के मामा श्री राम पाण्डे ने विवाह में लगभग ढाई लाख रूपये खर्च किये लेकिन विवाह के पश्चात भी ललिता को कम दहेज लाने के लिए उसके पति अपीलार्थी सुरेन्द्र व उसके अन्य निकट सम्बन्धी परेशान करते थे तथा ललिता पर अपने मामा के घर से और दहेज लाने के लिए दबाव डालते थे, परिवादी श्रीराम पाण्डे द्वारा अपीलार्थी व उसके निकट सम्बन्धियों के समझाने पर भी वे ललिता को प्रताडित करते थे तथा ललिता को छोड़ने की भी धमकी देते थे। विवाह के लगभग दो वर्ष बाद मई 1996 में अपीलार्थी सुरेन्द्र द्वारा ललिता को ब्यूटी पार्लर खुलवाने के नाम पर 25 हजार रूपये ललिता के मामा श्री राम पाण्डे से प्राप्त किये लेकिन ब्यूटी पार्लर नहीं खुलवाया तथा उक्त रूपयों का अपने खर्च के लिए उपयोग कर लिया तत्पश्चात् वर्ष 1998 में पुन: 50 हजार रूपये सूरत से साडियां लाकर व्यापार करने के नाम पर अपीलार्थी सुरेन्द्र ने श्री राम पाण्डे से प्राप्त कर लिये लेकिन कोई व्यापार न कर उक्त राशि का भी दुरूपयोग किया। उसके उपरान्त भी आये दिन रूपयों की मांग की जाने लगी तथा नहीं देने पर तलाक की धमकियां भी दी गयी, दिनांक 24.2.00 को सुरेन्द्र ने पुन: एक पत्र श्री राम पाण्डे को लिखकर 50 हजार रूपये देने तथा नहीं भिजवाने पर बुरा परिणाम की धमकियां

दी । श्री राम पाण्डे को, ललिता ने उससे सम्पर्क करने पर यह बताया कि यदि उसके पति की मांग पूरी नहीं हुई तो वह लोग उसकी जान भी ले सकते हैं तथा उसके ऊपर घर पर पहरा भी लगा रखा है तत्पश्चात दिनांक 29.4.00 को प्रात: 8 बजे अपीलार्थी के पिता का श्रीराम पाण्डे के पास टेलीफोन आया तथा 50 हजार रूपये भिजवाने की फिर मांग की, नहीं भिजवाने पर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी दिनांक 29.4.00 को रात्रि को 8.30 बजे टेलीफोन पर सूचना मिली की उसकी भान्जी ललिता की मृत्यु हो गयी, जिसे जयपुर आकर देखा तो ज्ञात हुआ कि उसकी फांसी से लटकाकर हत्या की है।

श्री राम पाण्डे पी डब्लू.1 की रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 पर औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-5 अपराध अन्तर्गत धारा 304-बी व 498-ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की गयी तथा अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। अपीलार्थी श्री राम पाण्डे को लिखे पत्र प्रदर्श पी-1 व पी-3 को भी पुलिस द्वारा जप्त किया गया तथा मृतका का शव अन्त्य परीक्षण करवाया व अनुसंधान पूरा करने के उपरान्त अपीलार्थी सुरेन्द्र पारीक के विरूद्ध चार्ज शीट प्रस्तुत की गयी। अन्वीक्षा न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त धारा 304-बी व 498-ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये । अभियुक्त-अपीलार्थी ने आरोप से इन्कार किया और अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्ष्य में 16 साक्षीगण को

परीक्षित करावाया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी का बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किया गया। जिसमें उसने विशेष कथन में बताया है कि उसके अपनी पत्नी से अच्छे सम्बन्ध थे उनके मध्य कोई झगडा नहीं था उसे व्यापार में नुकसान हुआ उसकी पत्नी भावुक थी तथा वह चाहती थी कि कर्जा जल्द से जल्द चुक जाए, कर्ज की धुटन व तकाजों से वह टूट गयी। उसने अपनी पत्नी को दहेज के लिए कभी तंग व परेशान नहीं किया। बचाव साक्ष्य में 5 साक्षीगण के बयान भी करवाये गये।

अन्वीक्षा न्यायलय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरान्त अपीलार्थी सुरेन्द्र पारीक को उपरोक्तानुसार दोष सिद्ध पाते हुए दण्डित किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभय पक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का गहनता से परिशीलन किया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से प्रमुख रूप से यही तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रमुख साक्षीगण पी.डब्लू.1 श्री राम पाण्डे ,पी.डब्लू.4 श्रीमति किरण पाण्डे व पी.डब्लू.12 गोपाल तिवारी हितबद्ध साक्षीगण है,जिनकी साक्ष्य न केवल विरोधाभासी है साथ ही अविश्वसनीय भी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी की दोष सिद्धी का प्रमुख आधार तथाकथित पत्र प्रदर्श

पी.1 व पी.3 को बनाया है लेकिन उक्त पत्रों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु नहीं भेजा गया है, इस तरह पत्रावली पर ऐसी कोई विश्वसनीय सामग्री ही नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकल रहा हो कि उक्त पत्र अपीलार्थी द्वारा श्री राम पाण्डे को लिख गये थे। उनका यह भी तर्क रहा है कि पत्र प्रदर्श पी-1 व पी.3 से भी यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दहेज के रूप में मृतका ललिता के मामा श्री राम पाण्डे से रूपयों की मांग की गयी थी अपितु पत्र प्रदर्श पी-1 में तो 50 हजार रूपये ब्याज पर दिलवाने की प्रार्थना करना अंकित हो रहा है जिसे दहेज की मांग के रूप में नहीं देखा जा सकता। उनका यह भी तर्क रहा है कि पत्र प्रदर्श पी-3 में कहीं भी दहेज या रूपयों की मांग का अंकन नहीं है अपितु यही अंकित हो रहा है कि "मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए" इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूंठा लिप्त किया गया है। अपीलार्थी की ओर से बचाव पक्ष में प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य से भी यह सिद्ध हो रहा है कि अपीलार्थी सुरेन्द्र के अपनी पत्नी से अच्छे सम्बन्ध थे तथा घटना से कुछ समय पूर्व अपीलार्थी सुरेन्द्र बेरोजगार हो गया था, जिससे परेशान होकर उसकी पत्नी ललिता ने आत्महत्या की थी।

विद्वान लोक अभियोजक ने आक्षेपित निर्णय को उचित ठहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी सुरेन्द्र ने अपनी पत्नी मृतका ललिता को विवाह के कुछ समय बाद से ही दहेज की मांग को लेकर तंग व परेशान करना शुरू कर दिया, तथा ललिता के मामा श्री राम पाण्डे, जिनके द्वारा ही ललिता का विवाह किया गया था से, वर्ष 1996 में 25

हजार रूपये ललिता को ब्यूटी पार्लर खुलवाने के नाम पर लेकर उड़ा दिये उसके डेढ़ वर्ष बाद पुन: 50 हजार रूपये सूरत से साडियां लाकर व्यापार करने के नाम पर ले लिये , जिसका भी उपयोग व्यापार कार्य में न लेकर स्वयं के ऊपर खर्च कर दिये, पुन: वह अपनी पत्नी ललिता को तंग व परेशान करने लगा तथा ललिता को तलाक देने की धमकियां देते हुए श्री राम पाण्डे से दहेज के रूप में बड़ी राशि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो गया तथा इस हेतु पत्र प्रदर्श पी-1 भी लिखा तथा इस घटना के कुछ दिन पूर्व ही लिखे पत्र में अपनी बीबी को तलाक देने और स्वयं के हाथ से कुछ अनहोनी बात होने का लिखते हुए धमकियां भी दी गयी। उनका यह भी तर्क रहा है कि विवाह के सात वर्ष की अवधि में ही दहेज की मांग को लेकर संदिग्ध परिस्थितियों में ललिता की मृत्यु हुई है, इन परिस्थितियों में धारा 113-बी साक्ष्य अधिनियम की विधिक उपधारणा भी अपीलार्थी-अभियुक्त के विरूद्ध लिये जाने के उचित आधार हैं।

इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी अभियुक्त सुरेन्द्र पारीक का विवाह मृतका ललिता उर्फ बेबी के साथ दिनांक 26.6.94 को हुआ था तथा विवाह के 7 वर्ष की अवधि के अन्दर ही दिनांक 29.4.2000 को मृतका ललिता उर्फ बेबी की मृत्यु संदिग्ध व अस्वाभाविक परिस्थितियों में अपने ससुराल में हो गयी। ललिता की मृत्यु के कारणों के संदर्भ में पी.डब्लू.14 डॉ. के एल धानक की साक्ष्य महत्वपूर्ण है जिनके द्वारा मेडिकल बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मृतका के शव का अन्त्य परीक्षण कर

रिपोर्ट प्रदर्श पी-34 तैयार की थी, जिसमें उसकी गर्दन पर 15 से.मी.X 1- 1/2 से.मी. बांयी तरफ लीगेचर के निशान तथा गर्दन के दांयी तरफ 1-1/2X 0.75 से.मी हेमेटोमा मांस के अन्दर होना पाया। उनकी राय में मृत्यु का कारण गर्दन के ऊपर दबाव की वजह से दम घुटना थी। मृतका ललिता के शव का पंचनामा प्रदर्श पी-17 भी बनाया गया था तथा मृत्यु के कारणों की जांच कर रहे, तत्कालीन एस डी एम जयपुर द्वितीय पी.डब्लू. 13 श्री एस एन तिवारी ने भी मृत्यु का कारण फॉसी के फंदे से मृत्यु होना बताया था।

यह सुस्पष्ट विधिक स्थिति है कि धारा 304-बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए निम्न तत्वों की सिद्धी की आवश्यकता है:-

1. किसी महिला की मृत्यु जलने, शारीरिक चोटों से या सामान्य परिस्थितियों से अलग अन्य प्रकार से हुई है,

2. ऐसी मृत्यु महिला के विवाह के सात वर्ष की अवधि में हुई है,

3. ऐसी महिला को उसके पति व पति के अन्य सम्बन्धियों द्वारा सताया गया या क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया ,

4. ऐसा क्रूरता पूर्ण व्यवहार दहेज की मांग को लेकर अथवा उसके संदर्भ में किया गया,

5. दहेज की मांग को लेकर क्रूरतापूर्ण व्6. यवहार महिला की मृत्7. यु के तुरन्8. त पूर्व किया गया।

धारा 304-बी में प्रयुक्त दहेज (**Dowry**) की परिभाषा धारा-2 **Dowry Prohibition Act. 1961** से ली गयी है, जो निम्न प्रकार है:

> Section 2 of the Dowry Prohibition Act. 1961(in short ' Dowry Act') defines " dowry" as under;-
>
> Setion 2. Definition of `dowry' - In this Act, `dowry' means any property or valuable security given or agreed to be give either directly or indirectly-
>
> (a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or
>
> (b) by the parent of either party to a marriage or by any other person, to either party to the marriage or to any other person.
>
> at or before or any time after the marriage in connection with the marriage of the said parties, but does not include dower or mehr in the case of persons to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applied.
>
> Explanation I.- For the removal of doubts, it is hereby declared that any presents made at the time of a marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles, shall not be deemed to be dowry witin the meaning of this section, unless they are made as consideration for the marriage of the said parties.
>
> Explanation II.- The expresion `valuable security' has the same meaning in S. 30 of the Indian Penal Code (45 of 1860)."

दहेज हत्या के मामले में धारा 113-बी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान भी सुसंगत है, जो निम्न प्रकारहै:

> " 113-B. Presumption as to dowry death.- When the question is whether a

> person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death."
>
> Explanation- For the purposes of this section 'dowry death' shall have the same meaning as in S. 304-B of the Indian Penal Code (45 of 1860)

इस तरह धारा 304-बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 113-बी साक्ष्य अधिनियम के संयुक्त अध्ययन से यह स्थिति उभरकर आ रही है कि यदि किसी महिला को मृत्यु के तुरन्त पूर्व उसके पति या पति के अन्य सम्बन्धियों द्वारा तंग, परेशान अथवा उसके साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार, दहेज की मांग को लेकर किया तथा ऐसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष की अवधि में सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना से हुई मृत्यु से अन्यथा संदिग्ध परिस्थितियों में हुई तो यह विधिक उपधारणा ली जावेगी कि ऐसी मृत्यु दहेज हत्या के रूप में कारित की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मृत्यु के तुरन्त पूर्व मृतका के साथ की गयी क्रूरता के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह तो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि ऐसा क्रूरता पूर्ण व्यवहार का प्रभाव मृतका पर कितनी अवधि तक रहता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विनिर्णय हीरा लाल बनाम देहली राज्य ए आई आर 2003 एस सी पेज- 2865 में भी यही मत व्यक्त किया है:

> "The expression 'soon before her death' used in the substantive S. 304-B I.P.C. and S.113-B of the Evidence Act is present with the idea of proximity test. No definite period has been indicated and the expression 'soon before is not defined.'

उपरोक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यही विचारणीय बिन्दू शेष रहता है कि क्या अपीलार्थी - अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा अपनी पत्नी ललिता व उसके पीहर पक्ष के व्यक्तियों से विवाह के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे तंग व परेशान एवं उत्पीडित किया गया तथा संदिग्ध व अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई ललिता की मृत्यु, दहेज हत्या थी?

इस सम्बन्ध में मृतका ललिता के मामा श्री राम पाण्डे पी.डब्लू.1 जिनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी, की साक्ष्य महत्वपूर्ण है, श्रीराम पाण्डे ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि उसकी बहिन बसंती देवी अर्द्धविकसित है तथा उसके बहनोई की मृत्यु हो गयी, इस कारण भान्जी ललिता का लालन पोषण उन्ही ने किया था तथा ललिता की शादी सुरेन्द्र के साथ दिनांक 26.9.94 को करीबन ढ़ाई लाख रूपये खर्च करके की थी। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि ललिता को उसके पति सुरेन्द्र व उसके देवर इत्यादि दहेज की मांग को लेकर तंग व परेशान करते थे तथा मारपीट भी करते थे। मई 1996 में सुरेन्द्र व उसके घर वाले पुष्कर आये थे तथा ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए उससे 25 हजार रूपये ले गये तत्पश्चात अक्टूबर 1998 में पुन: अपीलार्थी सुरेन्द्र व उसके घर वाले पुष्कर नहाने आये तथा 50 हजार रूपये सूरत से

साडिंयों का व्यवसाय करने के लिए देने की मांग की जिस पर उसने अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से रूपया इक्ट्ठा करके 50 हजार रूपये उनको दिये जो कभी नहीं लौटाये तथा पुन: रूपया देने की मांग करने लगे। सुरेन्द्र द्वारा दिनांक 24.2.2000 को एक पत्र भी लिखा जिसमें 50 हजार रूपये की मांग की गयी। उक्त पत्र सुरेन्द्र के हाथ का ही लिखा हुआ था तत्पश्चात दिनांक 20..4.2000 को अन्य पत्र प्रदर्श पी-3 भी सुरेन्द्र द्वारा उसे लिखा गया। दिनांक 29.4.2000 को उसकी भान्जी की मृत्यु की सूचना उन्हें प्राप्त हुई।

लगभग ऐसी ही साक्ष्य किरण पाण्डे पी.डब्लू.4 ने दी है, जो कि मृतका ललिता की मामी व पीडब्लू.1 श्री राम पाण्डे की पत्नी है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्वतंत्र साक्षी मंजू शर्मा पी..डब्लू..5 को भी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाया गया है, जिसमें उसने कथन किया है कि ललिता जब शादी के बाद पुष्कर आती थी तब यह कहती थी कि ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं । दहेज के लिए 11 हजार रूपये रिसेप्शन के मांगे तथा 25 हजार रूपये फिर मांगे। औम प्रकाश डोल्या पी.डब्लू 6 जो श्री राम पाण्डे का ही पड़ौसी है, ने भी श्रीराम पाण्डे के कथनों का समर्थन करते हुए यह कथन किया है कि वर्ष 1998 की दीपावली के आस पास श्रीराम पाण्डे ने उससे 20 हजार रूपये यह कहते हुए लिये थे कि सुरेन्द्र को 50 हजार रूपये साडियों का धंधा करने के लिए देने हैं। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि ललिता को उसके ससुराल वाले शादी के बाद से परेशान करने लगे हैं ऐसा ललिता ने स्वयं उसको बताया था।

इस मामले में पत्र प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी.3 महत्वपूर्ण प्रलेखीय सामग्री है जो अभियुक्त अपीलार्थी सुरेन्द्र द्वारा मृतका ललिता के मामा श्रीराम पाण्डे को लिखना बताये गये हैं,

हमारे मत से उक्त दोनों पत्रों को केवल इसी आधार संदिग्ध नहीं ठहराया जा सकता है कि उन्हें विधि विज्ञान प्रयोग शाला में जांच हेतु नहीं भेजा गया। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि पी.डब्लू.1 श्री राम पाण्डे ने उक्त दोनों पत्रों को यह कहते हुए सिद्ध किया है कि वह अपनी भान्जी जवांई की हस्तलिपि से अच्छी तरह परिचित है तथा यह दोनों पत्र अपीलार्थी सुरेन्द्र की हस्तलिपि में है। प्रदर्श पी.1 पत्र जिस लिफाफे में आया था उसे भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्श पी.2 के रूप में सिद्ध कराया गया है।

पत्र प्रदर्श पी-1 जो अपीलार्थी सुरेन्द्र द्वारा मृतका ललिता के मामाजी एवं मामीजी को सम्बोधन कर लिखा गया है, में प्रमुख रूप से 50 हजार रूपये ब्याज पर दिलवाने की मांग की गयी थी तथा उक्त राशि न दिलवाने की सूरत में धमकी देते हुए यह भी अंकित किया है कि बेबी और बच्चों को हमेशा के लिए पुष्कर में ही रख ले, वह बेबी से तलाक चाहता है । इस तरह पत्र प्रदर्श पी-1 से ही स्पष्ट है कि अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा 50 हजार रूपये की मांग मृतका ललिता के मामा से धमकी भरे अंदाज में की गयी, ब्याज का उल्लेख करना तो मात्र एक बहाना था क्योंकि यह साक्ष्य में आया है कि पूर्व में भी अपीलार्थी-अभियुक्त सुरेन्द्र द्वारा मृतका ललिता के मामा श्री राम पाण्डे से

ली गयी राशि को नहीं लौटाया गया था। इस तरह अपीलार्थी सुरेन्द्र द्वारा मृतका ललिता की मृत्यु से कुछ माह पूर्व ही 50 हजार रूपये की मांग करना सिद्ध हो रहा है तथा इसकी पूर्ति न करने पर उन्हें ललिता उर्फ बेबी व बच्चों को हमेशा के लिए पुष्कर में ही रख लेने की धमकी दी थी।

इस प्रक्रम पर पत्र प्रदर्श पी.3 का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जो अभियुक्त-अपीलार्थी सुरेन्द्र पारीक द्वारा ललिता की मृत्यु से 9 दिन पूर्व ही मृतका के मामा-मामी को सम्बोधन कर लिखा गया था, जिसमें न केवल अपनी पत्नी ललिता उर्फ बेबी से तलाक लेने की इच्छा जाहिर की गयी थी साथ ही यह भी स्वीकार किया था कि वह बेबी को ताले में बदं रखता है तथा पत्र के अन्त में यह भी आशंका व्यक्त की थी कि उसके हाथ से कोई अनहोनी बात न हो जाए।

इस तरह हमारे मत से अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय सामग्री से जो परिस्थितियां उभरकर सामने आयी है, उससे यह सिद्ध हो रहा है कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी ललिता के साथ विवाह के कुछ समय बाद से ही लगातार दहेज की मांग कर उसको तंग व परेशान किये जाने लगा समय-समय पर उसने अपनी पत्नी ललिता के मामा श्रीराम पाण्डे से दो बार क्रमश वर्ष 1996 में 25 हजार रूपये व वर्ष 1998 में 50 हजार रूपये प्राप्त किये तथा पुन: इसी घटना के लगभग दो माह पूर्व फरवरी 2000 में 50 हजार रूपये दिलवाये जाने की मांग की तथा मृत्यु के 9 दिन पूर्व ही भेजे गये पत्र प्रदर्श पी.3 दिनांक 20.4.2000 में यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी

पत्नी को कमरे में बंद कर रखा है तथा उसके हाथ से कुछ भी अनहोनी हो सकती है तथा विवाह के 7 वर्ष के भीतर ही संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे में झूलकर लटक जाने से ललिता की मृत्यु हुई।

इन परिस्थितियों में धारा 113-बी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत जो विधिक उपधारणा लेते हुए व उपलब्ध साक्ष्य का समुचित विश्लेषण करते हुए अन्वीक्षा न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को धारा 304-बी व 498-ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का दोषी पाते हुए दण्डित किया गया है, उसमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रदर्शित नहीं हो रही है।

अत: अपील, अपीलार्थी में कोई सार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है, जो निरस्त की जाती है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)